राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर

नियमावली

राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर

नियमावली

सरस्वती सभा की बैठक दिनांक 22.4.1982 में

निर्णय संख्या (11) व बैठक दिनांक 18 अप्रैल, 1987 के

निर्णय संख्या (8) व बैठक दिनांक 27.4.1991 के

निर्णय संख्या (13) तथा बैठक दिनांक 22 जनवरी, 2013 के निर्णय सं. (6 से 12) और

22 जून, 2013 के निर्णय सं. (9 से 23) के अनुसार संशोधित स्वीकृत नियमावली

अनुक्रम

1	अकादमी पुरस्कार नियम	1
2	पुरस्कार प्रविष्टि फार्म/परिचय विवरण	4–5
3	पुरस्कार संबंधी कार्यालय व्यवहार नियम/निर्णायक सम्पति प्रपत्र	6–7
4	साहित्य–मनीषी सम्मान नियम	08
5	विशिष्ट साहित्यकार सम्मान नियम	09
6	पं. जनार्दनराय नागर सम्मान नियम	10
7	अमृत सम्मान नियम	11
6	नवोदित प्रोत्साहन पुरस्कार नियम	12
7	चन्द्रदेव शर्मा/डॉ. सुधा गुप्ता/परदेशी पुरस्कार प्रविष्टि प्रपत्र	14
8	साहित्यकार प्रोत्साहन एवं कल्याण कोष	15
9	साहित्यकार आर्थिक सहयोग नियम	16
10	साहित्यकार आर्थिक सहयोग प्रविष्टि प्रपत्र	18
11	चिकित्सा एवं अभावग्रस्त सहयोग नियम	19
12	केन्द्रीय आर्थिक सहयोग नियम	20
13	प्रकाशित ग्रंथों पर सहयोग नियम	21
14	प्रकाशित ग्रंथों पर सहयोग प्रविष्टि प्रपत्र	23
15	साहित्यिक पत्र–पत्रिका सहयोग नियम	24
16	साहित्यिक पत्र–पत्रिका सहयोग प्रविष्टि प्रपत्र	25
17	पांडुलिपि प्रकाशन सहयोग के नियम	26
18	पांडुलिपि प्रकाशन सहयोग प्रविष्टि प्रपत्र	28
19	संस्था सम्बद्धता तथा मान्यता के नियम/प्रपत्र	29–31
20.	संस्था सम्बद्धता/मान्यता विवरण पत्र	32
21.	अकादमी फैलो (महत्तर सदस्यता) नियम	34
22	साहित्यिकार फैलोशिप नियम	35
21	साहित्यिकार फैलोशिप प्रविष्टि प्रपत्र	36

अनुक्रम

22	सेमीनार (संगोष्ठी) विषयक नियम	37
23	रचनाकार सम्मेलन नियम	38
24	लेखक शिविर नियम	39
25	अकादमी शोध एवं सर्वेक्षण नियम	40
26	व्यक्तिगत् शोध सर्वेक्षण विवरण – पत्र	43
27	व्यक्तिगत् शोध सर्वेक्षण अनुबंध – पत्र	44
28	संस्थागत् शोध सर्वेक्षण विवरण – पत्र	45
29	अध्ययन विचार–विमर्श केन्द्र नियम	46
30	पाठक मंच नियम	47
31	साहित्य प्रकाशन नियम	48
32	साहित्य प्रकाशन अनुबंध – पत्र	50
33	अकादमी पत्रिका वितरण नियम	52
34	अकादमी पत्रिका के लिए एजेन्सी नियम	53
35	प्रकाशन विक्रय नियम	54
36	प्रकाशन विनियम नियम एवं शर्तें	55
37	वाणी संग्रहीकरण के नियम	57
38	**अकादमी प्रशासनिक एवं वित्तीय नियम**	58
•	वेतन, भत्ते, भविष्य निधि आदि प्रशासनिक व्यय	
•	कर्मचारियों का यात्रा भाड़ा व दैनिक भत्ता	
•	समारोह उत्सव	
•	आर्थिक सहयोग	
•	पुस्तक प्रकाशन	59
•	पुस्तकालय पुस्तक	60
•	पत्रिका खरीद	61
•	बिजली,पानी, मकान–किराया, डाक–तार, टेलीफोन, पत्रिकाओं के मुद्रण के भुगतान, आडिट–शुल्क तथा अन्य सभी प्रकार के भुगतान	
•	सदस्यों का यात्रा भाड़ा दैनिक भत्ता, बैठक भत्ता आदि	
•	प्रचार–प्रसार	
•	अमानत की वापसी	
•	आय से वापसी	
•	अपलेखन(राइट ऑफ)	61
•	सामग्री अपलेखन	62
•	वसूली अपलेखन	62
39	**वित्त – समिति कार्य विधि नियम**	63
•	पुनर्वियोजन की शक्तियाँ	
•	विशिष्ट अनुदान का उपयोग	
•	अंकेक्षण	
40	कार्यालय क्रिया विधि नियम	66
41	अल्पाहार के नियम	72
42	सदस्यों आदि के लिए यात्रा भत्ता संबंधी नियम	73
43	पुस्तकालय सदस्यता हेतु आवेदन	75
44	पुस्तकालय – नियम	76
45	अकादमी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर प्रभावी सुविधाएँ	77

अकादमी पुरस्कार नियम

1. अकादमी की इस पुरस्कार प्रतियोगिता में राजस्थान के निवासियों द्वारा रचित मौलिक साहित्यिक कृतियों को ही सम्मिलित किया जायेगा। इन पुरस्कारों में प्रकाशित कृतियां ही स्वीकार की जाएंगी। प्रत्येक पुरस्कार हेतु पुस्तक की चार–चार प्रतियां निर्धारित प्रपत्र के साथ भिजवाना आवश्यक है। राजस्थान निवासी से तात्पर्य उस व्यक्ति से होगा –
   (1) जो राजस्थान का मूल निवासी हो और राजस्थान में निवास कर रहा हो । अथवा
   (2) जो राजस्थान में अकादमी द्वारा पुरस्कार योजना की प्रसारित विज्ञप्ति से ठीक पूर्व कम से कम 10 वर्षों से निवास कर रहा हो/निवास स्थान का प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक है। अथवा
   (3) ऐसा प्रवासी राजस्थानी जिसका परिवार मूलतः राजस्थान का निवासी हो। (यह नियम प्रभा खेतान प्रवासी रचनाकार पुरस्कार हेतु ही मान्य होगा।)

2. अकादमी द्वारा प्रति वर्ष अग्रांकित पुरस्कार दिये जायेंगे :–

क्र.सं.	पुरस्कार शीर्षक	विधा	राशि
1.	मीरा पुरस्कार	गद्य/पद्य (मौलिक, सृजनात्मक, दिशापरक)	75,000/–
2.	सुधीन्द्र पुरस्कार	कविता	31,000/–
3.	रांगेय राघव पुरस्कार	कहानी, उपन्यास	31,000/–
4.	देवीलाल सामर पुरस्कार	नाटक, एकांकी	31,000/–
5.	देवराज उपाध्याय पुरस्कार	निबंध, आलोचना, पाठ–संपादन, साहित्येतिहास	31,000/–
6.	कन्हैयालाल सहल पुरस्कार	ललित गद्य, व्यंग्य, आत्म–कथा, जीवन चरित्र, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्ताज, यात्रावृत्त आदि	31,000/–
7.	डॉ. आलमशाह खान अनुवाद पुरस्कार	स्वीकृत भारतीय भाषाओं से हिन्दी में अनूदित कृति	31,000/–
8.	मरुधर मृदुल युवा लेखन पुरस्कार (35 वर्ष तक के रचनाकार)	हिन्दी साहित्य की सभी विधाओं में प्रकाशित कृति	31,000/–
9.	विजयसिंह पथिक साहित्यिक एवं रचनात्मक पत्रकारिता पुरस्कार	साहित्यिक पत्रकारिता और रचनात्मकता से संबंधित प्रवृत्तियों पर	31,000/–
10.	प्रभा खेतान प्रवासी रचनाकार 31,000/– पुरस्कार	हिन्दी साहित्य की विविध विधाएं (प्रवासी रचनाकारों की कृतियां)	
11.	शम्भूदयाल सक्सेना बाल साहित्य पुरस्कार	बाल साहित्य	31,000/–
12.	सुमनेश जोशी पुरस्कार	प्रथम प्रकाशित एकमात्र कृति–गद्य या पद्य विधा	21,000/–

3. (अ) जिन साहित्यकारों को सर्वोच्च 'मीरा पुरस्कार' प्राप्त होगा वे भविष्य में अकादमी की किसी भी पुरस्कार प्रतियोगिता में भागीदारी नहीं कर सकेंगे ।

(ब) 'शम्भूदयाल सक्सेना' पुरस्कार तथा 'सुमनेश जोशी' पुरस्कार विजेता भविष्य में इन पुरस्कारों में भाग नहीं ले सकेंगे लेकिन वे अधिक राशि के अन्य पुरस्कारों में भागीदारी कर सकेंगे। सुधीन्द्र, रांगेय राघव, देवीलाल सामर, देवराज उपाध्याय, कन्हैयालाल सहल, डॉ. आलमशाह खान अनुवाद, मरुधर मृदुल युवा लेखन, विजयसिंह पथिक साहित्यिक एवं रचनात्मकता पत्रकारिता पुरस्कार, प्रभा खेतान प्रवासी रचनाकार पुरस्कार, शम्भूदयाल सक्सेना और सुमनेश जोशी पुरस्कार विजेता भविष्य में संबंधित विधा विशेष के पुरस्कार या कम राशि के पुरस्कारों में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे, लेकिन पाँच वर्ष पश्चात् वे समान राशि के अन्य पुरस्कारों में सम्मिलित हो सकेंगे । 'मीरा' पुरस्कार में सम्मिलित होने के लिए इन पुरस्कार विजेताओं पर कोई बन्धन नहीं होगा।

4. (अ) विश्वविद्यालयों और परीक्षा संबंधी अन्य ऐसी ही उपाधियों के लिए लिखे गये शोध ग्रन्थों को पुरस्कारार्थ सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

(ब) वे कृतियाँ जो अन्य अकादमियों, केन्द्र या राज्य सरकारों, राजकीय संस्थानों से पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं, इन पुरस्कारों के लिए सम्मिलित नहीं की जा सकेंगी।

5. सरस्वती सभा और संचालिका के सदस्य अपनी कालावधि में पुरस्कार और सम्मान योजना में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।

6. पुरस्कारार्थ वे सब पुस्तकें प्रविष्ट की जा सकेंगी जो इस पुरस्कारों की विज्ञप्ति निकलने के वर्ष से तीन वर्ष पूर्व तक की अवधि में प्रकाशित हो ।

7. सुमनेश जोशी पुरस्कार के अन्तर्गत प्रथम प्रकाशित कृति से तात्पर्य लेखक की किसी भी विधा में प्रथम प्रकाशित पुस्तक से होगा।

8. पुरस्कार प्रतियोगिता में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक रचनाकार को यह बतलाना होगा कि नियम सं. (1) की कौन सी उपधारा के अनुसार वे अपने आपको राजस्थान का निवासी मानते हैं ।

9. यदि किसी पुस्तक को अकादमी पुरस्कृत कर देती है और बाद में यह प्रकट होता है कि पुस्तक मौलिक नहीं है या नियमों का अतिक्रमण करती है तो उस स्थिति में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक परिणाम का दायित्व उस पुस्तक के लेखक का होगा । अकादमी को यह अधिकार होगा कि प्रदत्त पुरस्कार राशि सम्बन्धित लेखक से वापस वसूल कर ले। साथ ही भविष्य में अकादमी की सभी योजनाओं में भागीदारी से उसे अमान्य कर दिया जायेगा।

10. पुरस्कारों की संख्या, राशि या विधा में समय–समय पर परिवर्तन करने का अधिकार संचालिका की संस्तुति पर सरस्वती सभा को होगा ।

11. पुरस्कारों के लिये पुस्तक की चार प्रतियां भेजने की एक निश्चित तिथि अकादमी कार्यालय द्वारा घोषित की जायेगी । घोषित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाली पुस्तकों को पुरस्कारार्थ शामिल नहीं किया जायेगा ।

12. पुरस्कारों के संबंध में अकादमी अध्यक्ष द्वारा घोषित किया गया निर्णय अंतिम होगा ।

13. एक लेखक को एक वर्ष में अकादमी द्वारा एक ही पुरस्कार दिया जाएगा।

14. एक विधा में रचनाकार केवल एक ही पुस्तक पुरस्कार के लिए प्रस्तुत कर सकेगा।

15. अगर पुरस्कृत लेखक उस वर्ष सम्मानित होने वाली सूची में भी सम्मिलित है, या होते हैं तो उस लेखक से संबंधित सम्मान प्रक्रिया को आगे के लिए स्थगित किया जा सकेगा।

16. मरुधर मृदुल 'युवा लेखन पुरस्कार' राजस्थान निवासी युवा लेखक जिनकी विज्ञप्ति प्रसारण

दिनांक को उम्र 35 वर्ष तक की होगी, को ही देय होगा। आयु प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

17. 'डॉ. आलमशाह खान अनुवाद पुरस्कार' साहित्य अकादमी, दिल्ली से मान्यता प्राप्त 24 भारतीय भाषाओं से हिन्दी में अनूदित पुस्तकों पर प्रदान किया जाएगा।

18. 'प्रभा खेतान प्रवासी रचनाकार पुरस्कार' में वे लेखक भागीदारी कर सकेंगे जो योजना के बिन्दु संख्या 1 (स) के अनुसार वर्तमान में राजस्थान के बाहर अन्य प्रदेशों में निवास कर रहे हों। मूल निवासी सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

19. किसी पुस्तक पर पुरस्कार प्राप्त न होने की स्थिति में पुस्तक की एक प्रति कार्यालय में रखते हुए शेष तीन प्रतियां लेखक को वापस लौटा दी जायेंगी। पुरस्कृत पुस्तक की प्रतियां नहीं लौटाई जाएंगी।

20 अकादमी की पुरस्कार प्राथमिक जांच समिति के निर्णयानुसार चयनित पुस्तकों को मूल्यांकन हेतु भिजवाया जायेगा। चयनित पुस्तकों को पुरस्कार प्राप्त न होने की स्थिति में नहीं लौटाया जायेगा। वे पुस्तकें मूल्यांकनकर्ता के पास ही रहेंगी।

++++++++++++++++++++

सचिव

राजस्थान साहित्य अकादमी
उदयपुर – 313002

विषय : ———————————————————————— पुरस्कार में प्रविष्टि।

संदर्भ : अकादमी द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक ————————————

महोदय,

राजस्थान साहित्य अकादमी की पुरस्कार योजनान्तर्गत मैं अपनी प्रकाशित कृति की चार प्रतियां संलग्न/अलग डाक से प्रेशित कर रहा हूँ । एतद् संबंधी विवरण अग्रतः हैः–

0 ग्रंथ शीर्षक : ————————————————————————.
0 प्रेषित प्रतियां : ————————————————————————
0 विधा : ————————————————————————
0 प्रकाशन अवधि : वर्ष ————————————.
0 पृष्ठ संख्या : ————————————————————————

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि –

1 यह मेरी मौलिक कृति है ।

2 मेरी उक्त पुस्तक में – (अ) 'सती–प्रथा' का महिमा–मण्डन नहीं है। (ब) पुस्तक में 'साम्प्रदायिकता' सम्बन्धी कोई अंश नहीं है। और (स) यह अश्लील नहीं है।

3 मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मैं पुरस्कार नियम सं. 1 की उपधारा ———— के अनुसार राजस्थान का मूल निवासी/प्रवासी निवासी हूँ ।

4 मैं यह प्रमाणित करता हूँ /करती हूँ कि मुझे इस पुरस्कार पर अन्य अकादमी, राज्य अथवा केन्द्र सरकार से पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है।

5 विश्वविद्यालय या अन्य परीक्षा उपाधि के लिए लिखा यह शोध ग्रंथ नहीं है ।

6 सुमनेश जोशी पुरस्कार प्रविष्टि के समय मेरी यही एकमात्र प्रकाशित कृति है ।

7 मैंने पुरस्कार नियम पढ़ लिए हैं और मैं उन्हें मान्य करता हूँ/करती हूँ।

भवदीय

दिनांक :

हस्ताक्षर : ————————————
पूरा नाम व पता : ————————————
दूरभाष नं –
मोबाइल नं.

परिचय–विवरण

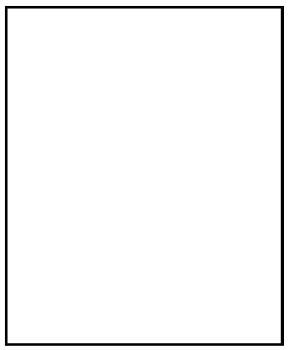

नाम : .....

जन्म तिथि : .....

शिक्षा : .....

प्रकाशित साहित्य : .....

.....

.....

.....

पुरस्कार / सम्मान : .....

अन्य उपलब्धियां : .....

सम्प्रति : .....

सम्पर्क : .....

.....

.....

दूरभाष / मोबाईल : .....

पुरस्कारों संबंधी कार्यालय व्यवहार नियम

1. सचिव पुरस्कार संबंधी समस्त पत्राचार करेंगे, परन्तु मूल्यांकन संबंधी समस्त गोपनीय पत्राचार अध्यक्ष करेंगे ।
2. पुरस्कारार्थ प्राप्त पुस्तकों की प्रारम्भिक जाँच पुरस्कार प्राथमिक जांच समिति द्वारा की जाएगी। जाँच समिति प्राप्त पुस्तकों को उनकी मौलिकता विधागत स्तरीय–सार्थकता तथा वैधानिक प्रक्रिया की पूर्णता को देखकर निर्णय करेगी । साम्प्रदायिक विद्वेश एवं व्यक्तिगत आक्षेप वाली विवादास्पद पुस्तकों को स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
3. इस प्रारम्भिक परीक्षण से जो पुस्तकें मूल्यांकन योग्य नहीं पायी जायेंगी उन्हें प्रतियोगिता की सूची में नहीं रखा जाएगा । प्रतियोगिता की सूची में न रखे जाने के कारण लेखबद्ध किए जायेंगे तथा गोपनीय रहेंगे ।
4. पुरस्कारार्थ विज्ञप्ति प्रसारित की जाएगी तथा अकादमी से सम्बद्ध एवं मान्यता प्राप्त संस्थाओं, सरस्वती सभा, समिति सदस्यों को सूचनार्थ तथा राजस्थान के प्रमुख दैनिक पत्रों में प्रकाशनार्थ भिजवायी जायेगी ।
5. पुरस्कारार्थ प्रतिवर्ष प्रसारित विज्ञप्ति की तिथि और कृतियों की कार्यालय में प्राप्ति तिथि में कम से कम दो माह का अन्तर आवश्यक है । अध्यक्ष इस अवधि को विशेष परिस्थितियों में घटा–बढ़ा सकते हैं ।
6. जिन पुरस्कार प्रतियोगिताओं में तीन से कम प्रविष्टियाँ प्राप्त होंगी वे प्रतियोगिताएँ उस वर्ष आयोजित नहीं होगी ।
7. प्रारम्भिक परीक्षण करने वाली पुरस्कार प्राथमिक जांच समिति जिन पुस्तकों को विचार योग्य समझेगी उन्हें अध्यक्ष, संचालिका द्वारा स्वीकृत पैनल में से किन्हीं तीन विद्वानों के पास मूल्यांकन हेतु भेजेंगे।
8. मूल्यांकनकर्ताओं से विहित प्रारूप में विस्तृत अंक मांगे जायेंगे और यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वे अपने पक्ष के अनुसार प्रत्येक समीक्षित पुस्तक को पूर्णांक 100 में से अंक प्रदान करें । इन अंकों के योग से जो प्रथम आयेंगे उनको यथा विहित पुरस्कार दिए जा सकेंगे, पर 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाली किसी रचना को पुरस्कार योग्य नहीं समझा जाएगा । यदि दो या दो से अधिक कृतियों को समान अंक प्राप्त होते हैं तो उन कृतियों की एक अन्य विद्वान से समीक्षा व मूल्यांकन करवा कर पुरस्कार की घोषणा की जायेगी ।
9. निर्धारित तिथि तक किसी मूल्यांकनकर्ता से मूल्यांकन प्राप्त न होने की दशा में अध्यक्ष अन्य मूल्यांकनकर्ता नियुक्त करेंगे । ऐसी स्थिति में पूर्व नियत मूल्यांकनकर्ता को पारिश्रमिक नहीं दिया जायेगा ।
10. मूल्यांकनकर्ता से पत्राचार करते समय लिफाफे पर 'गोपनीय' शब्द अंकित किया जाना अनिवार्य होगा ।
11. मूल्यांकनकर्ता को प्रति पुस्तक 500/– रु. समीक्षा पारिश्रमिक के रूप में दिया जायेगा । पुस्तक सहित समीक्षा प्राप्त हो जाने के पश्चात् मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया गया वास्तविक डाक व्यय अकादमी वहन करेगी ।
12. पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा अकादमी अध्यक्ष सामान्यतः संचालिका की बैठक में करेंगे। बैठक बुलाना संभव नहीं हो और घोषणा करना आवश्यक हो तो अध्यक्ष संचालिका सदस्यों को लिखित में सूचना देने के साथ–साथ परिणाम समाचार पत्रों को प्रकाशनार्थ देंगे। इस प्रकार घोषित निर्णय अंतिम होगा ।
13. पुरस्कार घोषणा के पश्चात् संबंधित सम्पूर्ण रेकर्ड को एक पैकेट में बन्द करके अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर सहित सील कर अकादमी कार्यालय में रख दिया जाएगा । यह पैकेट पाँच वर्ष पश्चात् अध्यक्ष के आदेश से नष्ट किया जा सकेगा ।
14. पुरस्कार मूल्यांकन संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही अध्यक्ष तक सीमित और गोपनीय रहेगी ।

++++++++++++++++++

राजस्थान साहित्य अकादमी

निर्णायक सम्मति प्रपत्र

1. पुस्तक का नाम ———————————————————————— विधा ——————————.

2. लेखक ————————————————————————————

3. स्तर – उत्कृष्ट / उत्तम / सामान्य ——————————————————————————

4. क्या इससे साहित्यिक योगदान होता है ——————————————————————————.

5. कृति के बारे में अभिमत (चार से पांच पंक्तियों में)

——

——

——

——

6. यह प्रमाणित किया जाता है कि –

(1) इस पुस्तक में अश्लीलता नहीं है।

(2) यह पुस्तक साम्प्रदायिक नहीं है।

(3) यह पुस्तक राष्ट्रविरोधी नहीं है।

(4) यह पुस्तक सती–प्रथा का महिमा–मंडन नहीं करती है।

हस्ताक्षर ——————————————————————.

दिनांक :

नाम ——————————————————————————

पता ——————————————————————————

साहित्य–मनीषी सम्मान नियम

1. 'साहित्य मनीषी' सम्मान राजस्थान निवासी साहित्यकारों को ही प्रदान किया जाएगा। राजस्थान निवासी से तात्पर्य उस साहित्यकार से होगा–

   (क) जो राजस्थान का मूल निवासी हो और राजस्थान में निवास कर रहा हो। अथवा,

   (ख) जो राजस्थान में सम्मान वर्ष से पूर्व कम से कम दस वर्षों से निवास कर रहा हो।

2. 'साहित्य मनीषी' सम्मान उन मूर्धन्य साहित्यकारों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने निरन्तर 25 वर्षों तक अपने रचनात्मक योगदान से साहित्य को विस्तृत एवं विविध आयाम प्रदान किए तथा नए मान व जीवन मूल्यों की सषक्त धारा प्रवाहित की हो।

3. एक सरस्वती सभा अपने कार्यकाल में एक महानुभाव (साहित्यकार) को ही इस सर्वोच्च सम्मान (उपाधि) से समादृत कर सकेगी।

4. संचालिका की संस्तुति पर लब्ध प्रतिष्ठ लेखकों, समीक्षकों, साहित्येतिहास लेखकों तथा साहित्य–सेवियों का 'साहित्य मनीषी' के रूप में सरस्वती सभा चयन/अनुमोदन कर सकेगी। यह चयन/अनुमोदन उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से होगा।

5. साहित्य–मनीषी सम्मान की राशि 2,51,000/– रु. होगी।

6. साहित्य मनीषी हेतु खुला प्रस्ताव आमंत्रित किया जायेगा।

++++++++++++++++++

विशिष्ट साहित्यकार सम्मान नियम

1. 'विशिष्ट साहित्यकार सम्मान' राजस्थान निवासी साहित्यकारों को ही प्रदान किया जाएगा। राजस्थान निवासी से तात्पर्य उस साहित्यकार से होगा–

   (क) जो राजस्थान का मूल निवासी हो और राजस्थान में निवास कर रहा हो। अथवा,

   (ख) जो राजस्थान में सम्मान वर्ष से ठीक पूर्व कम से कम दस वर्षों से निवास कर रहा हो।

2 'विशिष्ट साहित्यकार सम्मान' उन मूर्धन्य साहित्यकारों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने निरन्तर 10 वर्षों तक अपने रचनात्मक योगदान से साहित्य को विशिष्ट एवं विविध आयाम प्रदान किए तथा नये मान व जीवन मूल्यों की सशक्त धारा प्रवाहित की हो।

3 अकादमी संचालिका प्रतिवर्ष 'विशिष्ट साहित्यकार सम्मान' का चयन करेगी।

4 'विशिष्ट साहित्यकार सम्मान' की राशि 51,000/– रु. होगी।

++++++++++++++++++++

पं. जनार्दनराय नागर सम्मान नियम

1. **पं. जनार्दनराय नागर** सम्मान राजस्थान निवासी साहित्यकारों को ही प्रदान किया जाएगा। राजस्थान निवासी से तात्पर्य उस साहित्यकार से होगा –

   (क) जो राजस्थान का मूल निवासी हो और राजस्थान में निवास कर रहा हो। अथवा,

   (ख) जो राजस्थान में सम्मान वर्ष से पूर्व कम से कम दस वर्षों से निवास कर रहा हो।

2. **पं. जनार्दनराय नागर** सम्मान उन मूर्धन्य साहित्यकार को प्रदान किया जाएगा जिसने निरन्तर 15 वर्षों तक अपने रचनात्मक योगदान से साहित्य को विस्तृत एवं विविध आयाम प्रदान किए हों तथा साहित्य में नए मान व जीवन मूल्यों की स्थापना और सशक्त धारा प्रवाहित की हो।

3. राजस्थान साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष एक साहित्यकार को इस सम्मान से समादृत कर सकेगी।

4. प्रतिवर्ष दिये जाने वाले **पं. जनार्दनराय नागर सम्मान** का निर्धारण राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा।

5. यह सम्मान साहित्यकार के समग्र साहित्यिक अवदान पर दिया जाएगा।

6. **पं. जनार्दनराय नागर सम्मान की राशि 1,00,000/– रु.** होगी।

7. इस सम्मान चयन हेतु समिति का गठन अकादमी अध्यक्ष/संचालिका राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर किया जावेगा।

8 अकादमी में प्राप्त प्रस्तावों के साथ–साथ गठित समिति द्वारा भी स्व–विवेक से नाम शामिल कर उस पर विचार किया जा सकेगा।

9 समिति की अभिशंषा के उपरांत संचालिका के अनुमोदन के पश्चात् अध्यक्ष, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा इस सम्मान की घोषणा की जा सकेगी।

++++++++++++++++++++

अमृत सम्मान नियम

1. 'अमृत सम्मान' राजस्थान निवासी साहित्यकारों को ही प्रदान किया जाएगा। राजस्थान निवासी से तात्पर्य उस साहित्यकार से होगा–

   (क) जो राजस्थान का मूल निवासी हो और राजस्थान में निवास कर रहा हो। अथवा,

   (ख) जो राजस्थान में सम्मान वर्श से ठीक पूर्व कम से कम दस वर्षों से निवास कर रहा हो।

2 'अमृत सम्मान' उन मूर्धन्य साहित्यकारों को प्रदान किया जाएगा जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक है और जिन्हें अभी तक अकादमी से कोई पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है।

3 यह सम्मान उन साहित्यकारों को प्रदान किया जाएगा, जिनका हिन्दी भाषा, साहित्य, संस्कृति में उल्लेखनीय योगदान है।

4 यह सम्मान उन साहित्यकारों को प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने हिन्दी पत्रकारिता के माध्यम से समाज में चेतना जगाने का कार्य किया है।

5 जिन साहित्यकारों ने शिक्षा और साक्षरता के माध्यम से भाषा, साहित्य, समाज और राष्ट्र की महत्त्वपूर्ण सेवा की है।

6 अकादमी संचालिका 'अमृत सम्मान' का चयन करेगी।

7 अमृत सम्मान' की राषि 31,000/– रु. होगी।

++++++++++++++++++++

नवोदित प्रतिभा प्रोत्साहन पुरस्कार नियम

1. राज्य की नवोदित साहित्यिक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से प्रतिवर्ष अग्रांकित पुरस्कार दिए जायेंगे :–

   (क) महाविद्यालय स्तरीय पुरस्कार

   (1) चन्द्रदेव शर्मा पुरस्कार

   स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के छात्र/छात्राओं के लिए

   कविता, कहानी, नाटक व निबन्ध विधा में ।

   (2) सुधा गुप्ता पुरस्कार (केवल छात्राओं के लिए)

   (ख) परदेशी पुरस्कार (विद्यालय स्तरीय)

   उच्च माध्यमिक (हायर सेकण्डरी) कक्षाओं तक के छात्र/छात्राओं के लिए

   कविता, कहानी, लघुकथा और निबंध विधा में।

2. सुधा गुप्ता व परदेशी पुरस्कारों के लिए आमंत्रित की जाने वाली रचना के विषय, विधा, आकार आदि का निर्धारण प्रतिवर्ष संचालिका करेगी ।

3. महाविद्यालय स्तरीय पुरस्कारों की राशि प्रति पुरस्कार 2500/– रु. तथा विद्यालय स्तरीय पुरस्कार की राशि 1500/– रु. होगी ।

4. सुधा गुप्ता पुरस्कार में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर की छात्राएँ ही भाग ले सकेंगी ।

5. इन पुरस्कारों में राजस्थान के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विद्यालयों के वे नियमित छात्र/छात्राएँ ही भाग ले सकेंगे जिनकी आयु विज्ञप्ति प्रसारण की तिथि को 23 वर्ष से अधिक न ही हो ।

6. प्रतियोगियों को अपनी रचनाओं के साथ अपने विधिवत नियमित छात्र तथा आयु का प्रमाण पत्र विभागीय अध्यक्ष, प्राचार्य अथवा प्रधानाध्यापक का संलग्न करना अनिवार्य होगा।

7. प्रति वर्ष यथानिर्णय विज्ञप्ति प्रसारित करके रचनायें आमंत्रित की जायेंगी ।

8. जिन छात्र/छात्राओं को एक बार नवोदित प्रतिभा प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त होगा वे आगामी पांच वर्षों तक इस प्रतियोगिता में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे ।

9. पुरस्कृत रचनाओं को प्रकाशित करने का अधिकार अकादमी को होगा तथा इस प्रकाशन के लिए

रचनाकार को अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया जायेगा ।

10. प्रतियोगी को सुवाच्य लिपि में अपनी रचना की दो प्रतियां भेजनी होंगी ।

11. प्राप्त रचनाएँ वापस नहीं लौटाई जायेंगी ।

12. एक वर्ष में किसी भी छात्र/छात्रा को एक पुरस्कार ही दिया जा सकेगा ।

13. पुरस्कार निर्णय करने की विधि अंकों द्वारा होगी और सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रतियोगी को पुरस्कृत किया जाएगा । केवल वे ही रचनाएँ पुरस्कृत की जा सकेंगी जिन्हें कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त हों ।

14. यदि किन्हीं दो रचनाओं पर समान अंक प्राप्त हुए तो वह पुरस्कार दोनों लेखकों में आधा– आधा बाँट दिया जायेगा । यदि दो से अधिक रचनाओं पर समान अंक प्राप्त हुए तो अकादमी अध्यक्ष यह निर्णय करेंगे कि किन दो रचनाओं को पुरस्कृत किया जाए ।

15. मूल्यांकन करने के लिए दो समीक्षकों की नियुक्ति अकादमी अध्यक्ष करेंगे ।

16. प्रतियोगिताओं में प्राप्त रचनाओं का प्राथमिक समीक्षण अध्यक्ष, सचिव तथा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत एक विद्वान मिल कर सकेंगे ।

17. मूल्यांकनकर्ताओं को एकमुश्त मानदेय दिया जाएगा जिसका निर्धारण अध्यक्ष करेंगे। इसके अतिरिक्त नियमानुसार डाक व्यय भी दिया जायेगा ।

xxxxx

सचिव
राजस्थान साहित्य अकादमी,
उदयपुर – 313002 (राज.)

<u>विषय</u> : चन्द्रदेव शर्मा / डॉ. सुधा गुप्ता / परदेशी पुरस्कार योजना में प्रविष्टि

महोदय,

अकादमी द्वारा प्रवर्तित चन्द्रदेव शर्मा / डॉ. सुधा गुप्ता / परदेशी पुरस्कार योजनान्तर्गत मैं अपनी मौलिक रचना —————————————— विधा ——————————— की दो हस्तलिखित / टंकित प्रतियां भेज रहा / रही हूँ ।

0 मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि राजस्थान स्थित ——————————————— विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / विद्यालय ——————————————— का नियमित छात्र / छात्रा हूँ तथा विज्ञप्ति प्रसारण तिथि को मेरी आयु 23 वर्ष से अधिक नहीं है ।

0 मैं यह भी प्रमाणित करता / करती हूँ कि गत पाँच वर्षो से मुझे अकादमी का नवोदित प्रतिभा प्रोत्साहन पुरस्कार या डॉ. सुधा गुप्ता पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है ।

0 विभागीय अध्यक्ष / प्राचार्य / प्रधानाध्यापक का प्रमाण–पत्र जो कि नवोदित प्रतिभा प्रोत्साहन पुरस्कार नियम सं. (4) के अनुसार अपेक्षित है, नीचे दिया गया है ।

0 मैंने नवोदित प्रतिभा प्रोत्साहन / डॉ. सुधा गुप्ता पुरस्कार नियम पढ़ लिये हैं और मैं इन्हें मान्य करता / करती हूँ ।

0 मेरी अब तक प्रकाशित तथा अप्रकाशित रचनाओं का विवरण अग्रांकित है –

———————————————————————————————

———————————————————————————————

———————————————————————————————

भवदीय

हस्ताक्षर

(स्थायी निवास का पूरा पता)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / सुश्री ——————————————————————————— विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय (नाम) की कक्षा ——— के / की नियमित छात्र / छात्रा हैं और प्रेषित उक्तांकित रचना इन्हीं के द्वारा लिखी गई है । इनकी जन्म तिथि ————— है ।

हस्ताक्षर मय सील

नोट : डॉ. सुधा गुप्ता पुरस्कार में महाविद्यालय / विश्वविद्यालय की केवल छात्राएँ ही भाग ले सकेंगी ।

साहित्यकार प्रोत्साहन एवं कल्याण कोष

उद्देश्य :

1. राजस्थान राज्य के उन सक्रिय साहित्यकारों को आर्थिक सहयोग देना जिनका साहित्य सृजन आर्थिक कठिनाइयों के कारण अवरुद्ध हो रहा है ।
2. राज्य के वयोवृद्ध साहित्यकारों को आर्थिक संरक्षण सम्मान देना ।
3. दिवंगत साहित्यकारों के परिवार अथवा आश्रितों को जो आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हों, को आर्थिक सहयोग देना ।
4. अभावग्रस्त तथा रुग्ण साहित्यकारों को आर्थिक सहयोग देना ।

कोष निर्माण के स्रोत :

1. अकादमी नियमित बजट से यथा निर्णय अनुदान ।
2. प्रदेश के लेखकों, प्रकाशकों, पुस्तक व्यवसायियों राज्य तथा अन्य साहित्य प्रेमियों से अनुदान ।
3. प्रदेश की साहित्यिक संस्थाओं से प्राप्त अनुदान ।
4. अन्य स्रोत ।

कार्य संचालन :

1. अकादमी के अन्य खातों की तरह इसका संचालन भी सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाएगा ।
2. संरक्षित सम्मान तथा सक्रिय साहित्यकार सहयोग, चिकित्सा एवं अभावग्रस्त सहयोग व केन्द्रीय आर्थिक सहयोग उनके लिए निर्धारित नियमों के अंतर्गत इस कोष से दिए जा सकेंगे ।

xxxxx

(अ) साहित्यकार आर्थिक सहयोग नियम

1. यह सहयोग राजस्थान निवासी को ही दिया जा सकेगा । राजस्थान निवासी से तात्पर्य उस व्यक्ति से होगा –

   (1) जो राजस्थान का मूल निवासी हो और सामान्यतः राजस्थान में निवास कर रहा हो । अथवा

   (2) जो राजस्थान में पुरस्कार की विज्ञप्ति निकलने से ठीक पूर्व कम से कम 10 वर्षों से राजस्थान में निवास कर रहा हो । अथवा

   (3) ऐसा प्रवासी राजस्थानी जो मूलतः राजस्थान का निवासी हो और जिसने न्यूनतम राजस्थान में दस वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की हो ।

2. साहित्यकार सम्मान तथा सक्रिय साहित्यकार आर्थिक सहयोग राशि के संबंध में संचालिका निर्णय करेगी ।

3. जिन साहित्यकारों को साहित्यकार सहयोग राशि प्राप्त होगी उनका यथोचित विवरण कार्यालय पंजिका (रजिस्टर) में रखा जाएगा और संचालिका के अवलोकनार्थ प्रतिवर्ष रखा जाएगा ।

4. (अ) साहित्यकार सम्मान तथा सक्रिय साहित्यकार सहयोग के लिए प्रस्ताव या विवरण पत्र विज्ञप्ति प्रसारित कर आमंत्रित किये जायेंगे और प्राप्त प्रस्तावों और विवरणों को संचालिका के सामने निर्णायार्थ रखा जाएगा ।

   (ब) सरस्वती सभा व विभिन्न परामर्शदात्री समितियों के सदस्य अथवा सम्बद्ध एवं मान्यता प्राप्त संस्था के पदाधिकारी स्वयं भी प्रस्ताव भेज सकेंगे ।

5. सहयोग राशि के लिए विवरण पत्र में अग्रांकित जानकारी देनी होगी –

   (1) साहित्य रचना का प्रारम्भ और संक्षिप्त इतिवृत्त ।

   (2) प्रकाशित/अप्रकाशित कृतियों, रचनाओं का ब्यौरा ।

   (3) आर्थिक स्थिति व जीवनयापन के स्रोत ।

6. (अ) साहित्यकार सम्मान सहयोग ऐसे साहित्यकारों को ही दिया जा सकेगा जो निरन्तर 25 वर्ष तक या अपनी आयु के 50 वर्ष तक साहित्य रचना कर चुके हों और जिनके द्वारा रचित साहित्य की देन राजस्थान के साहित्य में उल्लेखनीय हो, अथवा

(ब) ऐसे लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारों को जो शारीरिक या मानसिक कारण से साहित्यिक रचना करने में असमर्थ हों गये हो और जिनके जीवन निर्वाह का कोई पर्याप्त अवलम्बन न हों । अथवा,

(स) जिनके कृतित्त्व को संचालिका मूल्यवान समझ कर आर्थिक सहयोग देना आवश्यक मानती हो ।

7. साहित्यकार सम्मान सहयोग राशि एक बार में तीन वर्ष तक के लिए स्वीकृत की जा सकती है लेकिन पुनरीक्षण करने पर यदि यह पाया जाये कि कोई सहयोग की पात्रता धारित नहीं करता अथवा उसकी सहयोग पात्रता समाप्त हो गई है तो सहयोग बन्द भी किया जा सकेगा ।

8. सक्रिय साहित्यकार से तात्पर्य होगा कि –

जो निरन्तर साहित्य के सृजन, अनुवाद, अनुसंधान, आलोचना व सर्वेक्षण में रत हो तथा जिसे साहित्यिक लेखन में प्रवृत्त रखने के लिये आर्थिक सहयोग की आवश्यकता हो ।

9. सक्रिय सहयोग राशि किसी साहित्यकार को सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी किन्तु किसी विशेष मामले में संचालिका अपवाद स्वरूप इस अवधि को और बढ़ा सकेगी ।

10. जिन साहित्यकारों की मासिक आय केवल 10000/– रु. तक होगी वे ही इस योजना में सम्मिलित हो सकेंगे ।

xxxxx

साहित्यकार आर्थिक सहयोग हेतु वांछित विवरण–पत्र

1. नाम : ————————————————————

2. पिता का नाम : ————————————————————

3. राजस्थान में निवास स्थान : ————————————————————

4. जन्म स्थान : ————————————————————

5. जन्म तिथि : ————————————————————

6. आय के स्रोत : ————————————————————

7. वार्षिक आय : ————————————————————

8. प्रकाशित रचनाओं का संक्षिप्त विवरण :

————————————————————————————————

————————————————————————————————

————————————————————————————————

9. अन्य ————————————————————————————————

————————————————————————————————

————————————————————————————————

दिनांक :

हस्ताक्षर :

पूरा पता : ————————————————

————————————————

(ब) चिकित्सा एवं अभावग्रस्त सहयोग नियम

(क) इस योजनान्तर्गत राजस्थान निवासी लेखक या उसके परिवार को सहयोग स्वीकृत किया जा सकेगा । राजस्थान निवासी से तात्पर्य होगा –

(1) जो राजस्थान का मूल निवासी हो और सामान्यतः राजस्थान में निवास कर रहा हो । अथवा

(2) जो राजस्थान में पुरस्कार की विज्ञप्ति निकलने से ठीक पूर्व कम से कम 10 वर्षों से राजस्थान में निवास कर रहा हो । अथवा

(3) ऐसा प्रवासी राजस्थानी जो मूलतः राजस्थान का निवासी हो और जिसने न्यूनतम राजस्थान में दस वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की हो ।

(ख) अकादमी अध्यक्ष द्वारा सहयोग अग्रांकित को स्वीकार किया जा सकेगा –

1. प्रदेश के किसी साहित्यकार को जो बीमार हो, या

2. किसी भी साहित्यकार जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया । या,

3. जो साहित्यकार अभावग्रस्त अवस्था में हो, या

4. किसी साहित्यकार के दिवंगत होने पर उसके परिवार को जो अभावग्रस्त हो, या

5. किसी साहित्यकार के दिवंगत अथवा मानसिक दृष्टि से असहाय होने की स्थिति में उसके परिवार को ।

(ग) अकादमी अध्यक्ष उक्त स्थिति में उचित आर्थिक सहयोग स्वयं लेखक या अन्य रचनाकार अथवा अन्य स्रोत से जानकारी प्राप्त होने पर कर सकेंगे जो अधिकतम 25000/– रु. तक का हो सकेगा।

xxxxx

(स) केन्द्रीय आर्थिक सहयोग नियम

1. राजस्थान निवासी अभावग्रस्त वयोवृद्ध साहित्यकारों तथा स्वर्गीय साहित्यकारों के परिवार को केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के सहयोग से यह आर्थिक सहयोग दिया जायेगा ।

2. इस सहयोग राशि में केन्द्र सरकार का योगदान और अकादमी का योगदान 2 : 1 होगा।

3. यह सहयोग सामान्यतः एक वर्ष के लिए स्वीकृत होगा किन्तु इसका नवीनीकरण प्रति वर्ष किया जा सकेगा ।

4. इस योजना की विज्ञप्ति प्रसारित होने पर केन्द्रीय सहयोग पाने हेतु वयोवृद्ध साहित्यकारों अथवा स्वर्गीय साहित्यकारों के परिवार निर्धारित प्रपत्र पर विवरण प्रेषित करेंगे । सरस्वती सभा के सदस्य भी इस प्रकार सहयोग के लिए नाम अभिशंसित कर सकेंगे ।

5. विवरण पत्र को कार्यालयीय स्तर पर जाँच कर संचालिका में निर्णायार्थ प्रस्तुत किया जायेगा । संचालिका द्वारा स्वीकृत नाम तत्पश्चात् सरकार को अभिशंसित किये जायेंगे।

6. अकादमी किसी को साहित्यकार सम्मान सहयोग या सक्रिय सहयोग प्रदान करे और बाद में उसे ही केन्द्रीय सहयोग की राशि स्वीकृत हो जाए तो अकादमी द्वारा दी गई राशि का समायोजन केन्द्रीय सहयोग की राशि में से किया जायेगा ।

xxxxx

प्रकाशित ग्रन्थों पर सहयोग नियम

1. इस योजना में राजस्थान के निवासी लेखकों द्वारा रचित अथवा अनूदित एवं स्वयं के व्यय से प्रकाशित साहित्यिक व स्तरीय ग्रंथों के प्रथम संस्करण को ही सम्मिलित किया जायेगा ।

2. राजस्थान निवासी से तात्पर्य उस व्यक्ति से होगा –

   (1) जो राजस्थान का मूल निवासी हो और सामान्यतः राजस्थान में निवास कर रहा हो । अथवा

   (2) जो राजस्थान में पुरस्कार की विज्ञप्ति निकलने से ठीक पूर्व कम से कम 10 वर्षों से राजस्थान में निवास कर रहा हो । अथवा

   (3) ऐसा प्रवासी राजस्थानी जो मूलतः राजस्थान का निवासी हो और जिसने न्यूनतम राजस्थान में दस वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की हो ।

3. अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष इस योजना में ग्रन्थ आमंत्रित करने हेतु विज्ञप्ति प्रसारित की जाएगी। विज्ञप्ति में आमंत्रित कृतियों का विवरण प्रविष्टि की अंतिम तिथि तथा ग्रन्थों की प्रकाशन अवधि का उल्लेख होगा जो विज्ञप्ति प्रसारण के वर्ष से गत तीन वर्षों तक की होगी ।

4. विचारार्थ प्रेष्य पुस्तक की दो प्रतियाँ, अपेक्षित प्रमाण–पत्र व बिल या उनकी फोटो प्रतियों सहित भेजना अनिवार्य होगा, जिन्हें सहयोग प्राप्त नहीं होगा उसकी कृति की एक प्रति वापस लौटा दी जायेगी । जो कृतियाँ सहयोग के लिए स्वीकृत होंगी उन कृतियों की प्रतियाँ नहीं लौटाई जाएगी।

5. एक लेखक/अनुवादक की एक ही कृति पर एक वित्तीय वर्ष में विचार किया जा सकेगा।

6. संकलनों, स्मारिकाओं तथा वार्षिकियों पर इस योजना के अन्तर्गत विचार नहीं होगा।

7. (अ) केवल उन्हीं प्रकाशनों पर सहयोग दिया जा सकेगा जिनके प्रकाशन का सम्पूर्ण व्यय–भार स्वयं लेखक ने वहन किया हो । लेखक को चुकारे के बिल, रसीद तथा तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र भेजना अनिवार्य होगा ।

   (ब) लेखक ने किसी साहित्यिक संस्था के माध्यम से अथवा प्रकाशक से स्वयं के व्यय पर प्रकाशन किया हो तो इस योजना में कृतियाँ विचारार्थ स्वीकार की जा सकेगी, लेकिन साहित्यिक संस्था या प्रकाशक के पदाधिकारी का ऐसा प्रमाण–पत्र कि लेखक ने ही प्रकाशन का व्यय किया है, आवश्यक होगा ।

8. इस योजना में उन प्रकाशनों पर विचार नहीं किया जा सकेगा जिन्हें अन्य स्थानों या स्रोतों से आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ हो ।

9. लेखक/अनुवादक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्र का प्रारूप इस प्रकार होगा –

'यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं .... शीर्षक की कृति का लेखक या अनुवादक हूँ । यह एक मौलिक/ अनुवादित रचना है । इसे मैंने अपने खर्चे से प्रकाशित करवाया है इसकी छपाई आदि पर मेरा कुल ..... रु. खर्च हुआ है जिसके बिल व रसीदें संलग्न हैं । इस पुस्तक पर मुझे किसी अन्य स्रोत से आर्थिक सहायता नहीं मिली है इसका प्रकाशन वर्ष ..... है ।

10. इस योजना के अधीन नियमानुसार प्राप्त कृतियों पर संचालिका निर्णय करेगी जो अंतिम एवं मान्य होगा ।

11. इस योजना में जिन्हें सहयोग प्राप्त होगा वे आगामी 5 वर्षों तक इस योजना में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे ।

12. एक लेखक को इस योजना में अधिकतम दो बार ही सहयोग प्राप्त हो सकेगा ।

13. इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त पुस्तकों की प्रारम्भिक जाँच समिति द्वारा की जाएगी।

14. जिन लेखकों की हिन्दी भाषा पाँच या पाँच से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं वे इस योजना में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे ।

15. नियमान्तर्गत प्राप्त व संस्तुत ग्रन्थों का मूल्यांकन संचालिका द्वारा स्वीकृत समीक्षकों के पैनल में से अकादमी अध्यक्ष गोपनीय रूप से करवायेंगे ।

xxxxx

सचिव,

राजस्थान साहित्य अकादमी,

उदयपुर – 313002

महोदय,

अकादमी की 'प्रकाशित ग्रन्थों पर सहयोग' योजनान्तर्गत अपनी कृति ———————————————————— की दो प्रतियाँ व इनके मुद्रण बिल संलग्न हैं ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ———————————— शीर्षक की ग्रंथ का मैं मूल लेखक/अनुवादक हूँ । यह एक मौलिक/अनुवादित रचना है । इसे मैंने अपने खर्चे से प्रकाशित करवाया है । इसकी छपाई आदि पर मेरा कुल मिलाकर ————————————रु. खर्च हुआ है जिसके बिल व रसीदें संलग्न हैं । इस पुस्तक पर मुझे किसी अन्य स्रोत से आर्थिक सहायता नहीं मिली है । इसका प्रकाशन वर्ष ———————— है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मैं इस योजना के नियम सं. (1) के उप नियम संख्या ——————— के अन्तर्गत राजस्थान का निवासी हूँ ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरी अभी तक कुल ———————— प्रकाशित मौलिक कृतियाँ हैं इनके नाम अग्रतः हैं :–

1.

2.

3.

4.

5.

6.

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि इस योजना में मुझे अभी तक ——————— बार सहयोग प्राप्त हुआ है/नहीं हुआ है ।

कृपया निर्णय से अवगत करावें । धन्यवाद ।

भवदीय

दिनांक :

नाम व पूरा पता :

साहित्यिक पत्र–पत्रिका सहयोग नियम

1. यह सहयोग राजस्थान की सृजनशील, आलोचनात्मक/शोध विषयक उन साहित्यिक पत्र–पत्रिकाओं को दिया जायेगा जो कि –

   (क) साहित्यिक सृजन, आलोचना, शोध, अनुवाद आदि से सम्बन्धित हों ।

   (ख) जिनकी प्रकाशन की अवधि मासिक से अर्द्ध वार्षिक के बीच हो ।

   (ग) जिनकी कम से कम 250 प्रतियाँ नियमित प्रकाशित होती हों ।

   (घ) जिनमें वर्ष भर के प्रकाशित लेखकों में कम से कम 50 प्रतिशत राजस्थान के लेखक सम्मिलित हों ।

   (ड.) जो प्रेस रजिस्ट्रार भारत से पंजीकृत हों ।

   (च) जो गत दो वर्षों से नियमित रूप से प्रकाशित हो रही हों ।

2. अकादमी प्रति वर्ष पत्र–पत्रिकाओं के सहयोग हेतु विवरण–पत्र, विज्ञप्ति प्रसारित कर आमंत्रित करेगी ।

3. इच्छुक सम्पादक/प्रकाशक अकादमी द्वारा निर्धारित प्रपत्र की पूर्तियाँ कर निश्चित तिथि तक अपना विवरण एक वर्ष प्रकाशित अंकों की प्रतियां सहित अकादमी मुख्यालय को प्रेषित करेंगे ।

4. सहयोग राशि का निर्धारण संचालिका, पत्रिका की पृष्ठ संख्या, स्तर, साज–सज्जा एवं उसके आय के अन्य आर्थिक स्रोतों को देख कर करेगी ।

5. जिन पत्र–पत्रिकाओं को सहयोग मिलेगा, उन्हें अपने किसी एक अंक में इस सहयोग का उल्लेख करना होगा ।

6. अकादमी से सहयोग प्राप्त पत्र–पत्रिकाओं को सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में अकादमी की कम से कम एक विज्ञापन निःशुल्क प्रकाशित करना होगा ।

xxxxx

साहित्यिक पत्र–पत्रिका सहयोग विवरण–पत्र

1. (अ) पत्रिका का नाम व आवृत्ति ————————————————————

   (ब) प्रेस पंजीयन संख्या ————————————————————————

2. सम्पादक का नाम ————————————————————————

3. संस्था अथवा व्यक्ति का नाम जिसके द्वारा पत्रिका प्रकाशित की जा रही है ————

   ——

   (अ) ग्राहकों की संख्या ————————————————

   (ब) निःशुल्क ————————————————

   (स) प्रकाशित प्रतियां ————————————————

4. वार्षिक आय (अ) चन्दे से ————————————————

   (ब) विज्ञापनों से ————————————

   (स) आय के अन्य स्रोत किसी और संस्था द्वारा सहायता, केन्द्रीय सरकार या प्रान्तीय सरकार द्वारा खरीद या अन्य ————————————————————

   योग – ————————————————————

5. कुल वार्षिक व्यय ———————————— एक अंक पर व्यय ब्यौरे वार

   दिया जाए मुद्रण ———————— कागज ———————— प्रेषण ————————

   योग ————————————

6. विगत कितने वर्षों से पत्रिका निकल रही है और कितने अंक निकल चुके हैं ?

   ————————————————————————————————————

7. विषय, वैशिष्ट्य ————————————————————

8. गत वर्ष में प्रकशित कुल लेखकों की संख्या ————————————————

   तथा राजस्थान के लेखकों का प्रतिशत ————————————————

9. वर्ष भर के कुल अंकों की पृष्ठ संख्या ————————————————

10. लेखकों को पारिश्रमिक दिया गया ? यदि हाँ तो कितना ————————————————

11. अन्य विवरण ————————————————————

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांक : सम्पादक / प्रकाशक

पाण्डुलिपि प्रकाशन सहयोग के नियम

1. इस योजना में राजस्थान के सृजनशील हिन्दी लेखकों को उनके द्वारा रचित या अनूदित साहित्यिक पांडुलिपियों के प्रकाशन हेतु सहयोग निम्नांकित नियमों के अंतर्गत किया जायेगा ।

2. राजस्थान निवासी से तात्पर्य उस व्यक्ति से होगा –

   (1) जो राजस्थान का मूल निवासी हो और सामान्यतः राजस्थान में निवास कर रहा हो । अथवा

   (2) जो राजस्थान में योजना की विज्ञप्ति निकलने से ठीक पूर्व कम से कम 10 वर्षों से राजस्थान में निवास कर रहा हो । अथवा

   (3) ऐसा प्रवासी राजस्थानी जो मूलतः राजस्थान का निवासी हो और जिसने न्यूनतम राजस्थान में दस वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की हो ।

3. अकादमी द्वारा इस योजना के अन्तर्गत लेखकों से उनकी साहित्यिक पाण्डुलिपियों को दो प्रतियों में विचारार्थ आमंत्रित किया जायेगा । इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त पांडुलिपियों की प्रारंभिक जांच समिति द्वारा की जाएगी।

4. नियमान्तर्गत प्राप्त पाण्डुलिपियों को संचालिका द्वारा स्वीकृत पैनल में से अकादमी अध्यक्ष गोपनीय रूप से मूल्यांकन करायेंगे । मूल्यांकन सहित पाण्डुलिपियां संस्तुति हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी ।

5. संचालिका पाण्डुलिपि के स्तर व व्ययानुमान को देखकर एक निश्चित अवधि प्रकाशन करने पर प्रकाशन सहयोग देने का निर्णय करेगा । यह सहयोग लेखक को ही दिया जायेगा और उसकी इच्छा से वह स्वयं अथवा किसी प्रकाशक से ग्रंथ प्रकाशित करायेगा। यह सहयोग कृति के प्रथम संस्करण पर 500 प्रतियों तक के लिए ही देय होगा ।

6. पाण्डुलिपि को मूल्यांकन के लिए भेजने से पूर्व लेखक का नाम हटा दिया जायेगा।

7. अकादमी सहयोग से प्रकाशित पुस्तक के अन्दरूनी टाइटल पर 'राजस्थान साहित्य अकादमी के आर्थिक सहयोग से प्रकाशित' का उल्लेख अवश्य किया जायेगा ।

8. निश्चित अवधि में पुस्तक प्रकाशित करा कर उसकी 25 प्रतियां अकादमी को दी जायेंगी जिनका

अकादमी यथा आवश्यकता उपयोग करेगी ।

9. लेखक को पाण्डुलिपि सहयोग की स्वीकृति सूचना दी जायेगी । लेखक निश्चित अवधि में पुस्तक की निर्धारित संख्या मुद्रित व प्रकाशित करा व्यय विवरण तथा बिलों की प्रमाणित प्रतियों के साथ प्रस्तुत करेगा और अकादमी जाँच कर स्वीकृत सहयोग राशि का भुगतान करेगी ।

10. एक वर्ष में लेखक की एक कृति पर ही विचार किया जायेगा ।

11. एक लेखक को यदि इस योजना में सहयोग मिलता है तो भविष्य में वह 5 वर्षों तक इस योजना में प्रविष्टि नहीं भेज सकेगा । एक लेखक को अधिकतम दो बार ही सहयोग दिया जा सकेगा।

12. उन लेखकों की कृतियों पर विचार नहीं होगा जिनकी कोई कृति गत पाँच वर्षों में अकादमी से प्रकाशित हुई हो ।

13. रचनाकार यह प्रमाणीकरण भी करेंगे कि प्रस्तुत कृति में उनके द्वारा पूर्व प्रकाशित किसी कृति का कोई अंश या रचना पुनः सम्मिलित नहीं है ।

14. जिन लेखकों की पाँच या पाँच से अधिक कृतियाँ प्रकाशित हैं वे इस योजना में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे ।

15. संचालिका द्वारा स्वीकृत होने पर पाण्डुलिपि की एक प्रति लेखक को प्रकाशनार्थ भेजी जायेगी तथा दूसरी कार्यालय में रहेगी । पुस्तक प्रकाशित होने पर यथानियम इसे भी लौटा दिया जायेगा।

16. जिन पाण्डुलिपियों पर सहयोग स्वीकृत नहीं हो सकेगा उन्हें निर्णयोपरान्त लौटा दिया जायेगा।

17. पाण्डुलिपि कम से कम 80 पृष्ठों की स्पष्ट टंकित या कम्प्यूटर टंकित फुलस्केप आकार की होनी आवश्यक है । बाल साहित्य की पाण्डुलिपियां कम से कम 40 पृष्ठ टंकित/कम्प्यूटर टाइप होंगी। हस्तलिखित पांडुलिपियां स्वीकार्य नहीं होंगी ।

18. इस योजना में प्रस्तुत जिन पाण्डुलिपियों पर सहयोग स्वीकृत नहीं हुआ है वे भविष्य में पुनः विचारार्थ प्रस्तुत नहीं की जा सकेंगी ।

19. स्फुट, बिखरी हुई, डायरियों में प्रेषित पाण्डुलिपियों पर नियमानुसार विचार नहीं किया जायेगा।

20. इस योजना में शोध ग्रंथों, वार्षिकियों, सर्वेक्षण, संपादन व संकलन ग्रन्थों पर विचार नहीं होगा।

दिनांक :

सचिव,

राजस्थान साहित्य अकादमी,

उदयपुर – 313002

महोदय,

अकादमी की 'पाण्डुलिपि प्रकाशन सहयोग' योजनान्तर्गत पाण्डुलिपि मय व्ययानुमान के प्रस्तुत है :–

पाण्डुलिपि शीर्षक ————————————————————

विधा ————————————————————

पृष्ठ संख्या ————————————————————

कुल व्ययानुमान (500 प्रतियों का) ————————————————————

पुस्तक 18'' X 23''/8 (डिमाई आकार में) रु. पैसे

प्रकाशित मौलिक कृतियों की संख्या ————————————————————

विवरण ————————————————————

प्रमाणीकरण

यह प्रमाणित किया जाता है कि –

1. मेरी उक्त पांडुलिपि में – (अ) 'सती–प्रथा' का महिमा–मण्डन नहीं है। (ब) पांडुलिपि में 'साम्प्रदायिकता' सम्बन्धी कोई अंश नहीं है। और (स) यह अश्लील नहीं है।

2. नियम संख्या (1) की उपधारा ( ) के अन्तर्गत मैं राजस्थान का निवासी हूँ ।

3. मुझे अब तक अकादमी द्वारा इस योजना में कुल ————— बार सहयोग प्राप्त हुआ है/ नहीं हुआ है ।

4. अद्यतन मेरी ——————— ही मौलिक कृतियाँ प्रकाशित हैं ।

मैंने इस योजना में पहले यह कृति प्रस्तुत नहीं की है और न ही इसे अस्वीकार किया गया है।

भवदीय

पूरा नाम व पता ————————————————

————————————————————

दूर./मो. :————————————————————

संस्था सम्बद्धता तथा मान्यता के नियम

1. राजस्थान साहित्य अकादमी राजस्थान के सभी अंचलों में अपने साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगी । ये आयोजन उन अंचलों में कार्यरत ऐसी साहित्यिक संस्थाओं के माध्यम से किये जायेंगे जो राजस्थान साहित्य अकादमी से सम्बद्ध और मान्यता प्राप्त हो ।
2. राजस्थान साहित्य अकादमी राज्य की साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं रचनात्मक क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को सम्बद्धता/मान्यता प्रदान कर सकेगी ।
3. जो साहित्यिक संस्थाएँ विगत एक वर्ष से अपने क्षेत्र में साहित्यिक प्रसारात्मक, शोध खोज आदि का नियमित कार्य कर रही है और जो सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट–1958 के तहत रजिस्टर्ड है तथा जिनका कार्यकारी कार्यालय है, ऐसी संस्थाओं को उपर्युक्त बिन्दु संख्या 2 के अनुसार राजस्थान साहित्य अकादमी मान्यता प्रदान कर सकेगी ।
4. ऐसी साहित्यिक संस्थाओं को जो विगत पाँच वर्षों से राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त है और जो अकादमी से सम्बद्धता चाहती है, ऐसी संस्थाओं से सम्बद्धता के लिये आवेदन पत्र 251/– रु. सम्बद्धता शुल्क सहित प्राप्त होने पर राजस्थान साहित्य अकादमी प्रस्ताव का निरीक्षण करवाकर संचालिका के समक्ष प्रस्तुत करेगी और संचालिका के प्रस्ताव पर सरस्वती सभा संस्था के नियमित कार्य, उपलब्धि आदि पर विचार करके उपर्युक्त बिन्दु 2 के अनुसार सम्बद्ध कर सकेगी ।
5. राजस्थान साहित्य अकादमी सम्बद्ध एवं मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा उनके क्षेत्र में अकादमी के विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित करा सकेगी जिसके लिये अकादमी ऐसी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देगी। अकादमी को यह अधिकार होगा कि स्वयं द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता के व्यय का उस संस्था से उपयोगिता प्रमाण पत्र संस्था अधिकारी से प्राप्त कर सके ।
6. सम्बद्ध संस्थाओं को अकादमी प्रतिवर्ष इनके द्वारा संचालित प्रसारात्मक कार्यक्रमों अथवा शोध खोज के प्रोजेक्टों पर वित्तीय अनुदान देगी, किन्तु शोध खोज के ऐसे प्रोजेक्ट संचालिका द्वारा अनुदान सहायता हेतु पूर्वतः स्वीकृत किये जायेंगे ।
7. मान्यता प्राप्त करने की इच्छुक पंजीकृत साहित्यिक संस्थाएँ राजस्थान साहित्य अकादमी के नियमान्तर्गत अकादमी के विहित प्रपत्र पर 101/– रुपये मान्यता शुल्क के साथ आवेदन करेगी, जिस पर संचालिका विचार कर निर्णय लेगी और उचित होने पर मान्यता प्रदान कर सकेगी ।
8. संचालिका पंजीकृत संस्थाओं को मान्यता अथवा सम्बद्धता प्रदान करने से पूर्व यदि आवश्यक समझे तो उनका निरीक्षण करवा सकेगी ।
9. (अ) प्रत्येक सम्बद्ध और मान्यता प्राप्त संस्था को साहित्यिक प्रचार कार्यक्रमों के लिए संचालिका निर्णयानुसार आर्थिक सहायता एकमुश्त अथवा किश्तों में दी जा सकेगी तथा अकादमी समय–समय पर इन संस्थाओं के ऐसे कार्यक्रमों, प्रवृत्तियों आदि का निरीक्षण तथा उनसे सम्बन्धित हिसाब की जाँच कर सकेगी । कार्यक्रमों, प्रवृत्तियों आदि के संबंध में अकादमी आवश्यक सुझाव भी देगी।

   (ब) कार्यक्रम सामान्यतः अग्रांकित हो सकते हैं –

   (क) उपनिशषद्/संगोष्ठी, कवि सम्मेलन, सश्जनतीर्थ, पाठक मंच आदि का आयोजन।

   (ख) विभिन्न साहित्यिक पर्व एवं जयन्तियां मनाना ।

   (ग) सम्बन्धित क्षेत्र का साहित्यिक सर्वेक्षण, साहित्यकारों का तथा साहित्य संकलन आदि करना एवं उन्हें साहित्य सश्जन के लिए प्रेरणा प्रदान करना ।

   (घ) क्षेत्र के साहित्यकारों के साहित्यिक जीवन एवं कार्य से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी रखना तथा अकादमी को प्रस्तुत करना ।

10. अकादमी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सम्बद्ध संस्थाएँ सहयोग देगी ।

11. यदि अकादमी यह अनुभव करे कि किसी मान्यता प्राप्त अथवा सम्बद्ध संस्था द्वारा अकादमी के नियमों, निर्देशों, रीति नीति तथा उद्देश्यों के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा तो अकादमी को यह अधिकार होगा कि वह उस संस्था को दी गई सम्बद्धता अथवा मान्यता वापस ले ले ।

12. सम्बद्ध संस्थाएं प्रसार कार्यक्रमों की प्रगति के बारे में वार्षिक विवरण निर्धारित तिथि तक अकादमी को भेजेगी ।

13. सम्बद्ध तथा मान्यता प्राप्त संस्था को अकादमी द्वारा दी गई आर्थिक सहयोग के व्यय का हिसाब रखना होगा और प्रतिवर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स द्वारा प्रमाणित व्यय विवरण अकादमी को भेजना होगा ।

14. उल्लिखित प्रसार कार्यक्रम के अलावा अकादमी से विधिवत सम्बद्ध संस्थाओं को विभिन्न साहित्यिक शोध, खोज, संग्रह, सम्पादन आदि प्रोजेक्ट्स के लिये नियमानुसार आर्थिक सहयोग दिया जा सकेगा।

    (1) उक्त आर्थिक सहायता के लिए अनिवार्य होगा कि सम्बद्ध संस्था प्रोजेक्ट सार भेजकर पहले अकादमी से उसे स्वीकृत करावे ।

    (2) स्वीकृत प्रोजेक्ट को अकादमी की शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि में पूरा करना होगा।

    (3) प्रोजेक्ट के कार्य का अधिकृत विवरण समय–समय पर अकादमी को भेजा जाएगा।

    (4) प्रोजेक्ट की समाप्ति पर अकादमी द्वारा उसका मूल्यांकन किया जायेगा ।

    (5) ऐसे प्रत्येक अधिकृत प्रोजेक्ट पर अकादमी अधिक से अधिक 50 प्रतिशत तक की सहायता कर सकेगी । यह आर्थिक सहायता व्यक्तियों को नहीं, केवल संस्थाओं को ही दी जाएगी । यदि उसी प्रोजेक्ट पर उस संस्था को किसी अन्य स्रोत से सहायता मिल रही है तो अकादमी सहायता निर्धारित करते समय उसका ध्यान भी रखेगी ।

    (6) प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृत अनुदान व निर्धारित अवधि में यदि किसी संस्था का कार्य पूरा न हो तो संचालिका प्रोजेक्ट के महत्त्व और उसके उपलब्धिमूलक कार्य को देखकर चाहे तो अनुदान को निरन्तरित रखते हुए अवधि बढ़ा सकती है ।

    (7) अकादमी सम्बद्ध और मान्यता प्राप्त संस्थाओं को उनके द्वारा शोध, अनुसंधान, गवेषणा जैसे महत्वपूर्ण कार्य पुस्तक प्रारूप में अकादमी में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार सहयोग दिया जा सकेगा।

15. अकादमी से सम्बद्ध और मान्यता प्राप्त सभी संस्थाएं अपने–अपने बैंक खाता संख्या की जानकारी अकादमी को प्रस्तुत करेगी, जिससे भविष्य में अकादमी द्वारा स्वीकृत सहयोग राशि उक्त खाते में स्थानान्तरित की जा सके।

16. अकादमी द्वारा संस्था सहयोग के रूप में संस्थाओं को प्रदत्त सहयोग राशि 25000/–रु. तक का उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित संस्था के अध्यक्ष और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के साथ अकादमी को भिजवाना आवश्यक होगा। साथ ही वर्ष के अन्त में संबंधित राशि के उपयोग का चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स का प्रमाण पत्र भिजवाना भी आवश्यक होगा।

17 अकादमी से मान्यता हेतु सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में साहित्य और संस्कृति का कार्य करने वाली पंजीकृत संस्थाएं भी आवेदन कर सकती हैं।

++++++++++++++++++

संस्था परिचय–पत्र

1. संस्था का नाम ——

2. संस्थापन तिथि —————————————————————————

3. संस्था पंजीयन क्र. —————————— दिनांक ——————————

4. उद्देश्य एवं सिद्धान्त ————————————————————————————————————

——

5. कार्यक्रम एवं कार्यक्षेत्र ————————————————————————————————————

————————————————————————————————

————————————————————————————————

6. प्रकाशन ————————————————————————————————

————————————————————————————————

7. संस्था की सम्पत्ति का विवरण

(गत वर्ष की अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें)

————————————————————————————————

चल सम्पत्ति ———————————————————————————————

अचल सम्पत्ति ———————————————————————————————

8. स्थायी कोष का धन किस प्रकार रखा

जा रहा है ———————————————————————————————

9. आय के स्रोत ———————————————————————————————

10. संस्था के कार्यों का संक्षिप्त विवरण ——————————————————————————————

————————————————————————————————

11. राजस्थान सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के अन्तर्गत संस्था पंजीयन की दिनांक

————————————— व पंजीकृत संख्या —————————————————————— प्रमाणित

प्रति संलग्न करें ।

12. संस्था के प्रबन्धकारिणी के सदस्यों तथा पदाधिकारियों के नाम व निर्वाचन तिथि

1. ————————————————	2. ————————————————
3. ————————————————	4. ————————————————
5. ————————————————	6. ————————————————
7. ————————————————	8. ————————————————
9. ————————————————	10. ————————————————

13. संस्था के गत वर्ष के वैतनिक कार्यकर्ताओं का विवरण :–

नाम तथा पद	योग्यता	वेतन	महंगाई	अन्य

कुल साल का रुपया चुकाया गया

14. संस्था के गत तीन वर्षों के कार्य विवरणों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ ।

15. अन्य विवरण (जिसे आवश्यक समझा जावे)

अध्यक्ष सचिव

xxxxx

संस्था सम्बद्धता / मान्यता विवरण–पत्र

प्रेषक,

——————————————————

——————————————————

——————————————————

संस्था का नाम ——————————————————————————————————————

पूरा पता ——

डाकघर ——————————— तहसील —————————— जिला ———————

सचिव,

राजस्थान साहित्य अकादमी,

उदयपुर

मान्यवर,

राजस्थान साहित्य अकादमी से संस्था की सम्बद्धता / मान्यता हेतु आवश्यक सूचनाएँ तथा प्रपत्र प्रेषित किए जा रहे हैं । यह प्रमाणित किया जाता है कि :–

1. संलग्न सूचना पूर्णतया सही है ।
2. किसी उल्लेखनीय बात को जान बूझकर नहीं छिपाया गया है ।
3. यह संस्था सम्बद्धता / मान्यता की शर्तों एवं सहयोग के निर्णय का पालन करती रहेगी। नियमों को पढ़कर हस्ताक्षर कर लिए हैं ।
4. संस्था के समस्त विभागों का कार्यक्रम तथा कार्यकर्ताओं का विवरण आपके अवलोकनार्थ संलग्न है ।
5. संस्था–विधान के सदस्यों की सूची व कार्य समिति के सम्बद्धता / मान्यता सम्बन्धी प्रस्ताव की प्रति संलग्न है । संस्था के कार्य समिति के संदर्भित प्रस्ताव द्वारा यह निश्चय किया है कि इस संस्था को राजस्थान साहित्य अकादमी , उदयपुर से सम्बद्ध / मान्यता प्रदान की जावे । अतः यह विवरण पत्र प्रेषित है ।

भवदीय

अध्यक्ष सचिव

xxxxx

अकादमी फैलो (महत्तर सदस्यता) नियम

1. महत्तर सदस्यता (अकादमी फैलो) राजस्थान निवासी साहित्यकारों को ही प्रदान की जाएगी। राजस्थान निवासी से तात्पर्य उस साहित्यकार से होगा–

   (क) जो राजस्थान का मूल निवासी हो और राजस्थान में निवास कर रहा हो। अथवा,

   (ख) जो राजस्थान में सम्मान वर्ष से ठीक पूर्व कम से कम दस वर्षों से निवास कर रहा हो।

2 महत्तर सदस्यता (अकादमी फैलो) राजस्थान निवासी उस मूर्धन्य साहित्यकार को प्रदान की जाएगी, जिसका हिन्दी साहित्य को अवदान उल्लेखनीय और उत्कृष्ट है और जिसके लेखन से हिन्दी साहित्य समृद्ध हुआ है।

3 ' अकादमी फैलो ' प्रति दो वर्ष में किसी एक राजस्थान निवासी साहित्यकार को प्रदान की जाएगी।

4 'अकादमी फैलो' का निर्णय अकादमी संचालिका की संस्तुति पर सरस्वती सभा द्वारा किया जाएगा।

5 ' अकादमी फैलो ' की राशि 1,51,000/–रु. प्रति साहित्यकार होगी।

++++++++++++++++++++

साहित्यकार फैलोशिप नियम

1. राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थान के सृजनशील साहित्यकारों को विशिष्ट लेखन प्रायोजनाओं पर कार्य करने हेतु फैलोशिप प्रदान की जाएगी।
2. इस योजना में राजस्थान निवासी लेखक सम्मिलित हो सकेंगे। राजस्थान निवासी से तात्पर्य होगा–
   (क) जो राजस्थान का मूल निवासी हो और राजस्थान में निवास कर रहा हो । अथवा
   (ख) जो फैलोशिप योजना की विज्ञप्ति प्रसारित से ठीक पूर्व कम से कम 10 वर्षों से राजस्थान में निवास कर रहा हो। निवास स्थान का प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
3. इस योजना में सेवारत विद्वानों, अकादमी सरस्वती सभा और संचालिका के सदस्यों, अकादमी में सेवारत कार्यकर्ताओं तथा अन्यत्र फैलोशिप या किसी प्रायोजिक कार्य में संलग्न विद्वानों को सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा।
4. फैलोशिप की संख्या का निश्चय अकादमी संचालिका करेगी। फैलोशिप की राशि प्रति विद्वान होगी निम्नानुसार होगी –
   (क) श्री चन्द्रधर शर्मा 'गुलेरी' फैलोशिप 3.00 लाख रु. वार्षिक
   (ख) डॉ. अम्बाशंकर नागर फैलोशिप 2.00 लाख रु. वार्षिक
5. यह फैलोशिप सृजनात्मक साहित्य की विशिष्ट लेखन प्रायोजनाओं के लिए होगी जो लेखक द्वारा स्वयं प्रस्तावित होगी अथवा अकादमी द्वारा विषय निश्चित कर निर्धारित विद्वान को दी जाएगी। नामांकन विवरण–पत्र में प्रायोजना की विशद जानकारियां तथा तथ्यपरक सूचनाएं प्रस्तुत की जायेंगी।
6. सामान्यतया फैलोशिप एक वर्ष की अवधि के लिए होगी, लेकिन आपवादिक प्रकरणों में कार्य की महत्ता तथा विशिष्ट परिस्थितियों पर विचार कर यह अवधि एक वर्ष और बढ़ाई जा सकेगी, लेकिन दो वर्ष पश्चत् अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी। इस संबंध में अकादमी का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
7. फैलोशिप प्राप्तकर्ता विद्वान अपने कार्य का त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करेगा। फैलोशिप प्राप्तकर्ता विद्वान से यह अपेक्षा रहेगी कि यह सृजनात्मक, आलोचनापरक या शोधपरक क्षेत्र में अपने विशिष्ट कार्य का साक्ष्य प्रस्तुत करें। विद्वान के कार्य का मूल्यांकन त्रैमासिक विवरण पत्र प्राप्ति पर विषय के अधिकारी विद्वान द्वारा कराया जाएगा। मूल्यांकन से यह विदित हो कि कार्य संतोषजनक रूप के प्रगति पर नहीं है तो फैलोशिप बन्द भी की जा सकेगी या स्थगित भी की जा सकेगी। इस संबंध में अकादमी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
8. फैलोशिप योजनान्तर्गत विज्ञप्ति प्रसारित कर नामांकन विवरण पत्र निष्चित तिथि तक आमंत्रित किए जायेंगे। निर्धारित तिथि तक प्राप्त सभी विवरण पत्रों को संबंधित विषेशज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जायेंगे। समिति की संस्तुतियों पर विचार कर अकादमी संचालिका निर्णय करेगी। अकादमी संचालिका स्वप्रेरणा से अथवा समिति की संस्तुति पर किसी विषिश्ट लेखन योजना पर कार्य करने के लिए किसी उपयुक्त विद्वान को नामांकित कर उक्त योजना के अंतर्गत फैलोषिप प्रदान कर सकेगी।
9. इस योजना के अंतर्गत फैलोषिप की राषि का वितरण राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर के कार्यालय द्वारा बिन्दु संख्या 7 के परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा।
10. फैलोशिप प्राप्तकर्ता विद्वान से फैलोशिप कार्य की पांडुलिपि प्राप्त होने पर ही त्रैमासिक राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
11. इस योजनान्तर्गत राजस्थान की संस्कृति, साहित्य और समकालीन लेखन से सम्बद्ध प्रायोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
12. इस योजना के अंतर्गत सम्पन्न किए गए कार्य की पाण्डुलिपि के प्रकाशन का स्वामित्व सम्पूर्ण अधिकार अकादमी का होगा। अकादमी की अनुमति प्राप्त कर लेखक उक्त ग्रंथ को अन्यत्र भी प्रकाशित कर सकता है। अकादमी द्वारा ग्रंथ प्रकाशन की स्थिति में लेखक को यथानियम रायल्टी दी जायेगी।
13. इन नियमों को संशोधित, परिवर्तित या परिवर्द्धित करने का अधिकार संचालिका की संस्तुति पर सरस्वती सभा को होगा।
14. फैलोशिप योजना में जिन्हें फैलोशिप दी जाएगी, उनके द्वारा कार्य नहीं किए जाने पर भविष्य में वे अकादमी की किसी भी योजना या प्रवृत्ति में भागीदारी नहीं कर सकेगा।

++++++++++++++++++

साहित्य के क्षेत्र में कार्यरत विद्वानों द्वारा फैलोशिप के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला नामांकन विवरण–पत्र का प्रपत्र

1. नाम ——————————————
2. स्थायी पता ——————————————
   ——————————————
3. वर्तमान पता ——————————————
   ——————————————
4. जन्म स्थान (गांव / शहर / जिला) ——————————————
5. साहित्यिक लेखन कविता, कहानी, नाटक, आलोचना ——————————————
6. अनुसंधान ——————————————
7. वर्तमान आय (नियोजक स्थिति का साक्ष्य दें यदि हो तो) ——————————————
8. पदक / सम्मान / मान्यता ——————————————
9. वर्तमान में प्रस्तावित अध्ययन / सर्वेक्षण शोध का विस्तृत विवरण (सार संक्षेप संलग्न करें) ——————————————
   ——————————————
   कार्य प्रारम्भ तथा संभाव्य पूर्णता का समय
10. ऐसे दो विद्वानों के नाम व पते जो नामांकन प्रस्तुतकर्ता को उसकी कार्यक्षमता के संदर्भ में जानते हों । ——————————————
11. यह प्रमाणित किया जाता है कि साहित्यकार फैलोशिप योजना के नियम सं. (2) के उपनियम संख्या ( ) के अन्तर्गत मैं राजस्थान निवासी हूँ।
12. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान में मैं न तो कहीं सेवारत हूँ और न ही किसी अन्य फैलोशिप योजना या शोध कार्य में संलग्न हूँ ।

हस्ताक्षर ——————————————

पूरा नाम व पता ——————————————

——————————————

दूर. / मो.नं. ——————————————

स्थान ——————————

दिनांक ——————————